न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–27 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस .संख्या:–2017 / 00143

उनवान

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर।
2. जिला वन अधिकारी व करौली जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर जिला करौली राजस्थान।

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र थौलू जाति मीना निवासी रूधपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील मासलपुर। .....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री श्याम बाबू शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 02।

–::निर्णय::–

दिनांक: 05.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 175 / 2005 बउनवान छोटू उर्फ छोटेलाल बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी छोटेलाल ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादगण विवादित आराजीयात पर [illegible] देते है। जबकि विवादित आरजीयात वादी के खातेदारी व [illegible] की भूमि है। वादी ने प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] मातहत अदालत के समक्ष किया। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली [illegible] दिनांक 15.12.2016 को निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

व डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 5 लगायत 17 कुल रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम केसपुरा तहसील मासलपुर में स्थित है। जो वन विभाग के कब्जे की आराजीयात है। जो कि वन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी करौली की रिर्पोट जिसको आरक्षित वन खाण्ड बासंवाडी रेन्ज करौली के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग से कमांक 19, 50 और 55 दिनांक 09.11.55 से राजपत्र दिनांक 17.12.55 से प्रकाशित हुई। जिसके तहत उक्त खसरा नम्बर को वन क्षेत्र के लिये राज्य सरकार ने वन विभाग के आरक्षित कर दिया गया। रेस्पो0 का उक्त आराजीयात के कोई संबंध नही रहा है ना ही उक्त आराजीयात को काश्त किया है। आराजीयात पर वन विभाग के दरख्त पेड़ खडे हुये है जो वन विभाग के कब्जे में है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से विधि विरूद्व है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 15.12.2016 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात को वन विभाग ने आरक्षित करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा प्रपत्र विज्ञप्ति एफ 7,20,21,63 दिनांक 14.02.63 द्वारा उक्त जमीनो को आरक्षित किया गया है। रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजीयात से कोई ताल्लुक नही है, न ही रेस्पो0 का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व है। अतः मातहत अदालत के उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि विवादित आराजीयात का रेस्पोडेन्ट सं0 01 रिकार्डेड खातेदार हैं। जिसके पूख्ता साक्ष्य मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली की पत्रावली बउनवान छोटू उर्फ छोटेलाल बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी में उपलब्ध है। अपीलांटस् का विवादित आराजीयात से कोई वास्ता नही हैं। अपीलांटस् विवादित आराजीयात पर जबरन हक बल [illegible] मण करना चाहते है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली [illegible] दिनांक 15.12.2016 पूर्णरूपेण उचित फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2062 वाके ग्राम केसपुरा, पटवार क्षेत्र खुण्डा में आराजीयात खसरा नम्बर 06 लगायत 17 कुल किता 13 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा छोटेलाल पुत्र धोलू मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी संवत 2026-29 से हाल गिरदावरी में खातेदार छोटे पुत्र धोलू मीना के नाम अंकन हैं अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली की पत्रावली में अपीलांट/प्रतिवादीगण के पक्ष को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज शामिल मिसल नही है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किए गए है, उनसे यह साबित नहीं हो रहा है कि उनमें अंकित खसरा नम्बरान से नए या पुराने कौन–कौन से खसरा नम्बर बने है और क्या वाद में वर्णित विवादित आराजीयात के पुराने या नवीन खसरा नम्बर कौन-कौन से है ? अर्थात् बंदोबस्त विभाग के मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किए गए है, जिससे अपील में अंकित तथ्य साबित हो सके।

अपीलांट के नाम क्या विवादित आराजीयात का अंकन दर्ज रिकार्ड मे अमल दरामद हो चुका है ? अर्थात् क्या वे रिकार्ड खातेदार है ? इस तथ्य को भी साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। अर्थात् ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर पेश नहीं है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट साबित करने में असफल रहने से सारहीन पाए जाने के कारण खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली के मुकदमा नम्बर 175/2005 निर्णय व डिक्री 15.12.16 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 05.01.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा) 05.01.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner